भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3175
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी

3175. श्री एम. के. राघवन:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल राज्य में मंत्रालय द्वारा निर्धारित/दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कड़े नियमों और कार्रवाईयों के बावजूद देश भर में बड़ी संख्या में फर्जी चिकित्सक कार्य करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में उपचार आम आदमी के लिए सुलभ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) आम आदमी की जीवन रक्षक उपकरणों/दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) झारखंड और केरल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफार्म रिसोर्सेज लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021-22_2.pdf .

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 34 राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित चिकित्सक के इतर किसी अन्य व्यक्ति को एक योग्य चिकित्सक के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उल्लंघन करता है, कारावास का दण्ड जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों भी इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी राज्य चिकित्सा परिषदों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चिकित्सा शिक्षा प्रभारियों से अनुरोध किया गया है कि वे कानून के अनुसार

नीम हकीमों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकारी नियुक्त करें।

(घ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का उद्देश्य भारत की 40% निम्नतम तबके के 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम स्तर और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी पीएम-जेएवाई को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी स्वयं की लागत पर लाभार्थी आधार का अपेक्षाकृत और अधिक विस्तार किया है।

एबी पीएम-जेएवाई 29,281 अस्पतालों में उपचार प्रदान करता है जो इस योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इसमें 12,625 निजी अस्पताल शामिल हैं।

(ङ) अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों की जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत नि:शुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है।

इसके तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन-सीमा के भीतर उनके द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में पोस्ट की गई आवश्यकताओं के आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में निशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत औषधियों की खरीद और खरीद की मजबूत प्रणाली को सुदृढ़ करने/स्थापित करने, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, नुस्खे लेखा परीक्षण, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है।

मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों पर सुविधा केन्द्रवार आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है:

सुविधा केन्द्र का नाम	**आवश्यक दवाओं की संख्या**
जिला अस्पताल (डीएच)	381
उप-जिला अस्पताल (एसडीएच)	318
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	300
आयुष्मान आरोग्य मंदिर- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी)	172
उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एएएम-एसएचसी)	106

***